कार्यालय ,परियोजना प्रबन्धक

राजस्थान अनु0 जाति / जनजाति वित एवं विकास सह0 निगम प्रकोष्ठ धौलपुर
कार्यालय दूरभाष नं. 221310

बिन्दु सं.— 2

विशेष केन्द्रीय सहायक योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007 — 08 में निगम मुख्यालय द्वारा निम्न प्रकार लक्ष्य आवटित किये गये है —

(अ) बैंकिग योजना

क. सं.	योजना का नाम	आवटित लक्ष्य भेतिक	धन राशि का प्रावधान लाखो में
1.	शहरी पोप	225	22.50 लाख
2.	ग्रामीण पोप	450	45.00 लाख
3.	व्यक्तिगत पम्पसैट	25	2.50 लाख
4.	उन्नत भैस /गाय	60	6.00 लाख
	कुल योग	**760**	**76 लाख**

(ब) गैर बैंकिग योजना

1.	कूप विद्युती करण	2	0.20 लाख
2.	कार्यशाला	50	5.00 लाख
3.	कृषि यन्त्र	150	4.50 लाख
	योग	202	9.00 लाख

(अ.) **बैकिंग योजनाः—**

अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। अथवा जिसकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 20,000 व शहरी क्षेत्र में 21,300 रू से कम हो इस योजना में अपना आवेदन पत्र संबंधित पंचायत समिति /नगरपालिका द्वारा भर सकता है। पंचायत समिति /नगरपालिका से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर इस कार्यालय द्वारा संबंधित बैंक को भिजवाने जाते है। बैंक द्वारा मोका देखकर ऋण स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत ऋण के आधार पर निगम कार्यालय द्वारा बैंकों को आनुदान राशि भिजवायी जाती है।

अनुदान राशिः—बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण रू 50 प्रतिशत अथवा यूनिट कोष्ठ का 50 प्रतिशत अथवा 10,000/— जो भी रूपये जो भी कम हो देय होगा । राशि निगम कार्यालय द्वारा चैक अथवा ड्राफ्ट के माध्यम से बैंकों के भिजवायी जाती है। 50,000/— रू. परियोजना प्रबंधक के हस्ताक्षरों से एवं 50,000 से 100000 तक परियोजना प्रबंधक +मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् के हस्ताक्षरों से एवं 100000 से अधिक के चैक,ड्राफ्ट परियोजना प्रबंधक +श्रीमान जिला कलक्टर के हस्ताक्षरों से भिजवाये जाते हैं।

(ब) **गैर बैंकिंग योजनाः—**

गैर बैंकिग योजना पूर्णतय इसी कार्यालय द्वारा संचालित होती है।

(1) **कूप विद्युतकरणः—**

अनुजाति के बी.पी.एल. परिवार को बिजली के कृषि कनक्शन पर 10,000 रू. अनुदान के दिये जाते हैं।

(2) **कार्याशालाः—**

अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति जो बी.पी.एल. हो अथवा जिसनी वार्षिक आय 20,000 से कम हो। इस योजना में पंचायत समिति के माध्यम से आवेदन पत्र भर सकतैं है। जिसमें प्राथमिकता के आधार पर निगम द्वारा 10,000 अनुदान एवं 10,000रू. व्यक्ति का स्वयं का अंशदान से एक कार्यशाला का निर्माण कराया जाता है। अनुदान राशि निमग कार्यशाला से संबंधित पंचायत समिति के माध्यक से लाभार्थी को दी जाती है।

(3) **कृषियंत्रः—**

__कृषि यंत्रों की दरों का निर्धारण प्रतिवर्ष कृषि विभाग द्वारा किया जाता है। कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित दरों पर कृषि यंत्र पंचायत समिति को सप्लाई कराये जाते हैं जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान राशि एवं 50 प्रतिशत किसान हिस्सा राशि होती है।

बिन्दु सं0—3

स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत अपना स्वारोजगार स्थापित करने हेतु बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण पर देय ब्याज में 5 प्रतिशत अनुदान दिया जाने का प्रावधान है। चालू वित्तीय वर्ष 2007—08 में जिले के 170 का लक्ष्य आवटित है। उक्त लक्ष्यों की पूर्ति वर्ष के अन्त की जाती है।

बिन्दु —4

विभिन्न राष्ट्रीय निगम जैसे एन.एस.एफ.डी.सी.ह/एन.एस.टी.एफ.डी.सी./एन.एस.के.एफ.डी.सी./एन.एच.एफ.डी.सी./आर.ओ.बी.सी./आर.एम.एफ.डी.सी. में आवटित लक्ष्यों का विवरण निम्नानुसर है। आवटित लक्ष्यों की प्राप्ति हतु यथा राज्य स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात जिला संवीक्षा समिति द्वारा जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में साक्षात्कार करवाकर राशि प्राप्ति करने हेतु प्रस्ताव निगम मुख्यालय जयपुर भिजवाये जाते हैं।

क. सं.	राष्ट्रीय निगम का नाम	आवटिंत लक्ष्य	वर्ष 2007—08
1	NSTFDC	16	
2-	NSKFDC	6	
3.	NSFDC	15	
4.	ROBC	39	
5.	RMFDC	अप्राप्त	
6-	NHFDC	प्राप्त आवेदन पत्र की लक्ष्य माने जाते है।	

उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ऋण प्राप्त कर्ता को रू.50,000 तक के ऋण पर एक सरकारी कर्मचारी की गारन्टी एवं 50,000 से अधिक के ऋण पर दो सरकारी कर्मचारी की गारण्टी देनी होती है।